

फिजिकल डिस्टेंसिंग उल्लंघन व मास्क न पहनने पर 9190 रुपये का जुर्माना

(जुर्माने के साथ ही मास्क न पहनने वालों को निःशुल्क मास्क भी पहनाया निगम ने, दी समझाईश)

कोरबा 08 जून 2020 –जो लोग बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचते हैं, उन्हें निगम द्वारा अर्थदण्ड लगाए जाने के साथ ही निःशुल्क मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उन्हें निगम अमले द्वारा समझाईश दी जा रही है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, वायरस के संक्रमण से खुद को एवं दूसरे लोगों को भी बचाएं। इसी कड़ी में मास्क न पहनने व फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के ऊपर विगत दो दिन में 9190 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा मास्क न पहनने वालों को निःशुल्क मास्क का वितरण निगम अमले द्वारा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिजिकल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन व मास्क न लगाने पर कोसाबाड़ी एवं पं. रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 5300 रुपये का अर्थदण्ड, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 2700 रुपये, कोरबा जोनांतर्गत 1300 रुपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 890 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्यतः लगाएं—महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं, मास्क न होने पर गमछे, रुमाल आदि से मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले, दुकानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से अपनाएं। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि वे व्यवसाय के दौरान अपनी दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कर ले तथा वायरस के संक्रमण से बचाव, उसके नियंत्रण एवं प्रसार को रोकने की दिशा में शासन प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अपना पूरा सहयोग दें।